न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **14 / 2017** रसद

राज्य सरकार जरिये श्याम प्रतापसिंह प्रवर्तन निरीक्षक

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री शराफत खां, उचित मुल्य दुकानदार, साण्डमारिया—ए, तहसील कोटड़ा

.....**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 10 के तहत जब्तशुदा 1.085 क्विंटल गेहूँ मय बारदान को राजसात करने के कम में

उपस्थितः— 1. श्री विजयसिंह राठौड़, पैरोकार सरकार
2. विपक्षी स्वयं

—: निर्णय :—

दिनांकः—11.12.2017

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्यामप्रतापसिंह द्वारा एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 1.085 क्विंटल गेहूँ मय बारदान को राज्यसात किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा उपखण्ड कोटड़ा के उचित मुल्य की दुकान सेन्टर जुड़ा बी का दिनांक 21.07.17 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान खुली मिली। डीलर उपस्थित था जिसने जॉच कार्यवाही करवायी। डीलर के पास पोईन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध मिली जिसका मशीन कोड 4901 हैं। जॉच पर निम्न अनियमितताऍ पायी गई।

1. दुकान पर स्टॉक व मूल्य बोर्ड प्रदर्शित नहीं था।
2. निःशुल्क उपभोक्ता हेल्प लाईन नम्बर प्रदर्शित नहीं मिला।

3. खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई–सूची दुकान पर उपलब्ध नहीं मिली।

4. डीलर ने प्राधिकार पत्र निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया।

5. मशीन से डे रिपोर्ट और करंट स्टॉक की पर्ची ली गई जिसके अनुसार डे रिपोर्ट में केरोसीन 25 लीटर, गेहूँ 3265.0 किग्रा और चीनी शून्य हैं। करंट स्टॉक में चीनी 0.15 किग्रा, केरोसीन 6.23 लीटर एवं गेहूँ 1275.10 किग्रा दर्ज हैं। डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है जिसके अनुसार अनुसार गेहूँ का दिनांक 21.07.17 को प्रारम्भिक स्टॉक 45. 40 क्विं. और आमद शून्य हैं। इसी प्रकार केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 21.07.17 को प्रारम्भिक स्टॉक 31 लीटर और आमद शून्य दर्ज हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक व स्टॉक रजिस्टर में दर्ज स्टॉक में अंतर भिन्नता हैं। डीलर द्वारा पॉस मशीन में स्टॉक का इन्द्राज का भौतिक तरीके से नहीं किया जाता हैं।

6. दुकान पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर डीलर के पास 25 कट्टो में कुल 12.75 क्विंटल गेहूँ, 6 लीटर और चीनी शून्य मिली। एसएसओ पोर्टल से पीओएस की ट्रान्जेक्शन समरी दिनांक 01.09.16 से 20. 07.17 के अनुसार गेहूँ की कुल बिक्री 1801.385 क्विंटल चीनी की कुल 150.057 क्विंटल और केरोसीन तेल 9510.78 लीटर हैं। मशीन से डे रिपोर्ट के अनुसार बिक्री गेहूँ 3265.0 किग्रा, चीनी शून्य और केरोसीन 25 लीटर हैं। इस प्रकार वक्त जॉच तक कुल बिक्री गेहूँ 1834.035 क्विंटल, चीनी 150.057 क्विंटल और केरोसीन 9535.78 लीटर हुई। इस दुकान पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन का सही स्थिति मालूम करने के लिये केरोसीन, गेहूँ व चीनी की आपूर्ति तथा डीलर के वितरण की स्थिति जिला रसद कार्यालय, उदयपुर से ली गई जिसके अनुसार 1.085 क्विंटल गेहूँ अधिक मिला जिसे मौके पर जब्त किया गया।

अंकेक्षण के अनुसार 1.085 क्विंटल गेहूँ मौके पर भौतिक सत्यापन पर अधिक पाया गया। इस पर डीलर श्री शराफत खॉ उचित मुल्य दुकान साण्डमारिया द्वारा अपने वितरण कार्य में गंभीर किस्म की अनियमितताऍ की गई हैं जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी अधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17 सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पी.डी.एस. ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी स्पष्ट उल्लंघन हैं। जो ई.सी.एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः जब्तशुदा गेहूँ शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है जिसका शीघ्रताशीघ्र निस्तारण कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियमानुसार स्टॉक व मुल्य सूची प्रदर्शित की गई थी किन्तु भारी वर्षा के कारण धुल गई। जॉच के समय तहसील कोटड़ा के डीलरो को हेल्प लाईन नम्बर जारी नहीं किया गया था। जॉच के समय पंचायत समिति कोटड़ा के द्वारा डीलरो को खाद्य ई सुची जारी नहीं की गई थी। साण्डमारिया सेन्टर घने जंगल में होने के कारण आवश्यक दस्तावेज (प्राधिकार पत्र वगैरा) सेन्टर पर नहीं जाकर कोटड़ा निवास स्थान पर सुरक्षित रूप से रखा गया था जो जॉच के समय पेश नहीं किया जा सका। सभी जिन्सो का स्टॉक रजिस्टर के अनुसार मौके पर स्टॉक सही था। जॉच दल के द्वारा निरीक्षण के दिन इस क्षेत्र में भारी वर्षा जारी थी। जैसे जैसे उपभोक्तागण गेहूॅ लेने आ रहे थे वैसे वैसे पोस मशीन के द्वारा उन्हें गेहूॅ वितरण किया जा रहा था। लेकिन उपभोक्तागण वर्षा रूकने के बाद ही अपना गेहूॅ प्राप्त करना चाहते थे इसी बीच जॉच दल के द्वारा जॉच करने पर स्टॉक के मुकाबले 01.85 क्विंटल गेहूॅ अधिक पाये जाने पर जॉच दल के द्वारा उक्त गेहूॅ सीज कर दिया गया परिणाम स्वरूप उपभोक्तागण जो वर्षा रूकने के बाद अपना गेहूॅ प्राप्त करना चाहते थे गेहूॅ से वंचित रह गये। निरीक्षण के दिन से आज तक उपरोक्त उपभोक्तागण गेहूॅ प्राप्त करने के लिये चक्कर काट रहे हैं जिन्हें श्रीमान के आदेश के उपरान्त ही गेहूॅ दिया जाना संभव हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त जब्तशुदा 01.85 क्विंटल गेहूॅ वंचित उपभोक्ताओं को वितरण करने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम विपक्षी के इन कथनो व जवाब से संतुष्ट नहीं है कि गोदाम में उपलब्ध गेहूॅ उपभोक्ताओ का हैं। जो पॉस मशीन से वितरण तो किया जा चुका था लेकिन क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही थी। वर्षा रूकने के बाद ही उपभोक्ता अपना गेहू प्राप्त करना चाहते थे। इसी बीच जॉच दल के द्वारा जॉच करने पर स्टॉक के मुकाबले 1.085 क्विंटल गेहूॅ भौतिक सत्यापन पर स्टॉक के मुकाबले अधिक मिलना बताया हैं। जबकि वास्तविक यह गेहूॅ उपभोक्तागण जो वर्षा रूकने के बाद अपना गेहूॅ प्राप्त करना चाहते थे। परन्तु डीलर द्वारा यह नहीं बताया कि कौन कौन से वैध उपभोक्ताओ का यह गेहूॅ था। पॉस मशीन में इस गेहूॅ का वितरण किस दिनांक को बताया। निरीक्षण दिनांक 21.07.17 को निरीक्षण हुआ था उस दिनांक को डीलर द्वारा निरीक्षण दल को इस स्थिति से अवगत क्यो नहीं करवाया गया। जिस कारण डीलर के कथनो पर संदेह होता हैं। डीलर द्वारा 5 उपभोक्ताओ के शपथ पत्र की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की है जो किसी से सत्यापित नहीं हैं।

इन पॉचो शपथ पत्रो में उपभोक्ताओ द्वारा जो गेहूॅ की मात्रा बताई है वह कुल 1.85 क्विंटल होती है जबकि जब्त गेहूॅ की मात्रा 1.085 हैं। जो भी सही प्रतित नहीं होता हैं। विपक्षी के जवाब की पुष्टी में प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से माह जुलाई 2017 की बारीश की सुचना मंगवाई गई जिसकी छायाप्रति संलग्न पत्रावली हैं। जिसमें कोटड़ा क्षेत्र में दिनांक 19.07.17 को 1 एमएम, दिनांक 20.07.17 को 7 एमएम एवं दिनांक 21.07.17 को 6 एमएम बारीश का होना जरीये अभिलेखीय साबित होता हैं। जो भारी बारीश नहीं हैं। राशन डीलर का यह कथन सत्य साबित नहीं होता है कि इस बारीश से उपभोक्ता गेहूॅ गोदाम से तुलवाने के बाद नहीं ले जा सके। भारी बारीश का कथन विपक्षी डीलर का गलत हैं। इससे यह प्रथम दृष्ट्या डीलर का उक्त गेहूॅ को दुरूपयोग करने की नियत से गोदाम में अधिक मात्रा में रखा गया था जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पीडीएस ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी उल्लंघन हैं। जो ई.सी.एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उचित मुल्य दुकान साण्डमारिया ए तहसील कोटड़ा के डीलर श्री शराफत खॉ की दुकान से जब्त 1.085 क्विंटल गेहूॅ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्त गेहूॅ को पीओएस मशीन के माध्यम से नियंत्रित दर पर वितरण करवा प्राप्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करा निर्णय की पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर